भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2802

दिनांक 12.08.2026 को उत्तरार्थ

ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी)

2802 श्री एस. कल्याणसुन्दरमः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) की तैयारी एवं अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है;

(ख) जीपीडीपी अपलोड करने वाले और उसके लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाले ग्राम पंचायतों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने, विशेषकर तमिलनाडु के चक्रवात प्रवण कावेरी डेल्टा जिलों में, जीपीडीपी में जलवायु सहनीयता, जल संरक्षण, स्वच्छता, ग्रामीण अवसंरचना तथा आपदा तैयारी को एकीकृत किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्राम पंचायतों को जीपीडीपी की तैयारी एवं क्रियान्वयन के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता तथा क्षमता निर्माण संबंधी सहयोग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग) वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु अंतिम रूप से अनुमोदित पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने के लिए ईग्रामस्वराज पोर्टल पर दिनांक 19 जून 2026 को नियोजन विंडो संचालित की गई। अब तक की स्थिति के अनुसार, 38,312 ग्राम पंचायतों ने ईग्रामस्वराज पोर्टल पर अपनी जीपीडीपी अपलोड कर दी हैं। ई-ग्राम स्वराज के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) की तैयारी का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

जीपीडीपी के तहत नियोजन प्रक्रिया को साक्ष्य-आधारित, व्यापक और सहभागी बनाने की परिकल्पना की गई है, जिससे संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संबंधित विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। इसमें अपनी जीपीडीपी तैयार करने के दौरान जलवायु के प्रति लचीलापन, जल संरक्षण, स्वच्छता, ग्रामीण अवसंरचना, आपदा जोखिम में कमी, पर्यावरणीय स्थिरता और अन्य स्थान-विशिष्ट विकासात्मक आवश्यकताओं जैसे क्षेत्रों के विषयों सहित विषयों को सम्मिलित किया जाता है ।

(घ) पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के प्रारंभिक उद्देश्य के साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से राष्ट्रीयग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। दिनांक 6 अगस्त 2026 की स्थिति के अनुसार, देश भर में कुल 4,16,475 प्रतिभागियों को ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) तैयार करने के उद्देश्य से प्रशिक्षित किया गया है। इनमें से 20,749 प्रतिभागियों को तमिलनाडु राज्य में प्रशिक्षित किया गया है इसके अलावा, पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान तमिलनाडु में विधिवत रूप से निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों को 637.93 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी।वित्त वर्ष 2026-27 के लिए, सोलहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत, राज्य के लिए 2,176 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

***

अनुलग्नक-I

'ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी)' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2802, जिसका उत्तर दिनांक 12.08.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी की राज्यवार स्थिति

क्रम सं	राज्य का नाम	ग्राम पंचायत एवं समकक्ष	
		पंचायतों की कुल संख्या	जीपीडीपी अपलोड करने वाली पंचायतों की कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश	13327	44
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	0
3	असम	2663	0
4	बिहार	8054	1608
5	छत्तीसगढ़	11692	598
6	गोवा	191	0
7	गुजरात	14619	23
8	हरियाणा	6227	181
9	हिमाचल प्रदेश	3615	0
10	झारखंड	4345	0
11	कर्नाटक	5949	0
12	केरल	941	0
13	मध्य प्रदेश	23011	0

14	महाराष्ट्र	28002	141
15	मणिपुर	3175	20
16	मेघालय	0	0
17	मिजोरम	855	0
18	नागालैंड	1312	0
19	ओडिशा	6794	0
20	पंजाब	13236	1545
21	राजस्थान	13128	7482
22	सिक्किम	199	0
23	तमिलनाडु	12482	0
24	तेलंगाना	12760	0
25	त्रिपुरा	1194	0
26	उत्तर प्रदेश	57695	23159
27	उत्तराखंड	7812	0
28	पश्चिम बंगाल	3339	1898
उप योग (राज्य)		**258725**	**36699**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	70	0
30	जम्मू और कश्मीर	4291	1578
31	लद्दाख	193	2
32	लक्षद्वीप	10	0
33	पुदुच्चेरी	108	0

34	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	50	33
	उप योग (संघ राज्य क्षेत्र)	**4722**	**1613**
	कुल योग	**263447**	**38312**

***